शुद्धिपत्र

संख्या-373/2025/आई/1075520/23-1-25-23-1002(002)/165/2025

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2025

विषय: सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाइन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 में जमा धनराशि को वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष भुगतान हेतु राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054 मद में पत्र संख्या-725सी/191सी-5054/आईओसीएल/कोर्ट केस/2025-26, दिनांक 12.08.2025, पत्र संख्या-726सी/191सी-5054/आईओसीएल/कोर्ट केस/2025-26, दिनांक 12.08.2025 एवं पत्र संख्या-723सी/191सी-5054/आईओसीएल/कोर्ट केस/भाग-1/25-26, दिनांक 12.08.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के क्रम में शासनादेश संख्या-359/2025/आई/1066501/23-1-25/001-23-1002(002)/165/2025, दिनांक 25.08.2025 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के कुल 04 कार्यों हेतु **आई0ओ0सी0एल0 में जमा धनराशि को वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष रू0 37,09,000/- (रूपये सैंतीस लाख नौ हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- उक्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-289(1)सीजी/02 रास0स0नि0(आवंटन)/5054/मूल/25-26, दिनांक 28.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 25.08.2025 में अंकित तालिका के क्रम संख्या-1 पर अंकित कार्य हेतु कॉलम सं0-7 पर उल्लिखित आई0ओ0सी0एल0 में जमा धनराशि रू0 10.14 लाख के स्थान पर रू0 17.05 लाख टंकित हो गयी है। अत: उक्त संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उक्त स्वीकृत शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-1 पर अंकित कार्य हेतु शासनादेश में अंकित तालिका के स्तम्भ-7 पर अंकित धनराशि रू0 17.05 लाख **के स्थान पर रू0 10.14 लाख** पढ़ा जाय।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 25.08.2025 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

संख्या-373/2025/आई/1075520(1)/23-1-25-23-1002(002)/165/2025-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।